प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 28.04.2025

- **थाना रूरा क्षेत्रान्तर्गत हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 05 नफर वांछित अभियुक्तगण को थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना रूरा पुलिस की कार्यवाही से मु0अ0सं0 118/2025 धारा 103(1)/3(5)/191(2)/191(3)/ 115(2)/352/351(2)/351(3) बीएनएस में 05 नफर वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 03 अदद डण्डा किया गया बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे तथा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम, वादी श्री राजन पुत्र रमेश चन्द्र निवासी ग्राम कपूरपुर काशीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 22.04.2025 को थाना रूरा पर मु0अ0सं0 118/2025 धारा 109/191(2)/191(3)/ 115(2)/352/ 351(2)/351(3) बीएनएस बनाम अभियुक्तगण 1. रवि पुत्र सन्तराम 2. रामखिलावन पुत्र मिश्रीलाल 3. मनसुक पुत्र अंगनू 4. अमन पुत्र नन्हू 5. सुभाषचन्द्र पुत्र पूरनलाल 6. संजय पुत्र चुन्नीलाल निवासीगण ग्राम कपूरपुर मौजा काशीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 109 बीएनएस का लोपकर धारा 103(1)/3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। जिसमें थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 27.04.2025 को मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार देवीपुर तिराहे के पास थाना रूरा-शिवली सीमा पर अभियुक्तगण 1.मनसुख पुत्र अंगनू उम्र 35 वर्ष 2.रविशंकर पुत्र स्व0 संतराम उम्र 30 वर्ष 3. अमन पुत्र रामरतन उर्फ नन्हू उम्र 21 वर्ष 4. रामखिलावन पुत्र मिश्रीलाल उम्र 46 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम कपूरपुर मौजा काशीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात व प्रकाश मे आये अभियुक्त सुदामा पुत्र अंगनू उम्र 44 वर्ष निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार करते हुए अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 03 अदद डण्डा बरामद किया गया। गिरफ्तराशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.04.2025 की रात्रि के करीब 08 बजे रात में सुदामा पुत्र अंगनू अपने खेतों से गेहूँ सुभाषचन्द्र के ट्रैक्टर से लेकर आया था और अपने घर पर गेहूँ उतार

रहा था। ट्रैक्टर धनीराम वर्मा पुत्र स्व0 रघुनाथ के घर के सामने खडा था। इसी बीच नीलू व राजन अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर आया और ट्रैक्टर निकालने के लिए जगह माँगने लगा। जब सुदामा और सुभाष ने नीलू से कहा कि थोडा रूक जाओ दो तीन बोरी गेहूँ की रह गयी है वो उतर जाये तो ट्रैक्टर साइड कर लूंगा परंतु नीलू व राजन नहीं माने और जबरदस्ती ट्रैक्टर निकालने लगे और उनका ट्रैक्टर ट्राली सुभाष के ट्रैक्टर ट्राली में फंस गया और ट्रैक्टर को खींच कर ले गया। इससे सुभाष चन्द्र के ट्रैक्टर में नुकसान हुआ और सुदामा का काम भी बाधित हुआ। इसी बात को लेकर के पहले कहासुनी और छोटा मोटा झगडा हो गया था, जिसे लोगों ने आकर शांत कर दिया किन्तु विपक्षी द्वारा बार बार ललकारे जाने पर लोग एकत्रित होने लगे और फिर लगभग 01 घण्टे बाद पुनः लड़ाई हो गयी। इसी वाद विवाद व मारपीट में रमा देवी, रमेश चन्द्र, नरेश चन्द्र, बृजेश, नीलू व रानी के चोटे आयी थी और हमारे पक्ष के अंगनू, पिंकी व साहिल सहित मोहल्ले के राहुल पुत्र मिश्रीलाल तथा हम नामित मुल्जिमानो में से रामखिलावन व मनसुख पुत्र अंगनू आदि को भी चोटे आयी थी। इसी मारपीट में रविशंकर द्वारा रमा देवी के सिर पर किये गये प्रहार के कारण वह मरणासन्न होकर जमीन पर गिर पड़ी थी और उनके सिर से खून की धार बहने लगी। हम लोग डर के कारण वहाँ से देवीपुर की तरफ भाग गये और डण्डो को रास्ते में बहालपुर कपूरपुर मार्ग पर रोड किनारे बनी झाडियो में फेक दिया था। हमारे द्वारा घटना के दौरान प्रयोग किया हुआ डण्डा जिसे हमनें कपूरपुर बहालपुर गांव के बीच में मोड़ के पास सड़क किनारे झाडियो मे फेंक दिया था। आज हमनें उसे बरामद भी करा दिया है। हमारा उद्देश्य विपक्षी को सबक सिखाना या हत्या करना नहीं था। हमसे गलती हो गयी है, हमें माफ कर दिया जाये। यही हमारा बयान है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. सुदामा पुत्र अंगनू उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम कपूरपुर मौजा काशीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात
2. मनसुख पुत्र अंगनू उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कपूरपुर मौजा काशीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात
3. रविशंकर पुत्र स्व0 संतराम उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम कपूरपुर मौजा काशीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात
4. अमन पुत्र रामरतन उर्फ नन्हू उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम कपूरपुर मौजा काशीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात
5. रामखिलावन पुत्र मिश्रीलाल उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम कपूरपुर मौजा काशीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 03 अदद डण्डा।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 118/2025 धारा 103(1)/3(5)/191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/351(3) बीएनएस थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक जनार्दन प्रताप सिंह
2. उ0नि0 श्री राकेश सिंह
3. का0 71 जितेन्द्र सिंह
4. का0 932 यतेन्द्र सिंह
5. का0 257 लवकुश चौधरी
6. का0 884 सुधीर छोंकर।